न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेशचन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

मु.नं. 60/23 दायर दिनांक 12.05.2025

निर्णय दिनांक 28.08.2025

1. मन्शी पदमात पिता जीवा पदमात
2. शान्तिदेवी पुत्री जीवा पदमात निवासीयान मोकरवाडा तहसील व जिला डूंगरपुर

प्रार्थीगण

–: बनाम :–

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर

विपक्षी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने।

अन्तर्गत धारा 125,136 एल.आर.एक्ट. 136

उपस्थित :–

श्री सुन्दरलाल अधिवक्ता, –प्रार्थीगण की ओर से

पेरोकार सरकार –विपक्षी की ओर से

–: निर्णय :–

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि मौजा मौकरवाडा सुन्दरपुर जिला डूंगरपुर खाता संख्या 29/59, खाता संख्या 58/100, खाता संख्या 148 में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादगण का सही नाम मन्शी पुत्र जीवा एवं शान्ति देवी पुत्री जीवा अंकित किया जाने निवेदन किया है। विपक्षी के नाम नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। तहसीलदार डूंगरपुर के पत्रांक 492 दिनांक 02.06.2025 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

तहसीलदादार डूंगरपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादीगण मन्शी पदमात पिता जीवा पदमात एवं शान्ति पुत्री जीवा पदमात निवासी मोकरवाडा पटवार मण्डल सुन्दरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थियों के नाम सरकारी दस्तावेजो जैसे आधार, जन आधार कार्ड व बैंक दस्तावेजों व आस–पास पडौस व सहखातेदारों से पुछताश पर मन्शी पिता जीवा पदमात व शान्तिदेवी पुत्री जीवा पदमात पाया गया लेकिन राजस्व ग्राम मोकरवाडा के खाता संख्या 29 वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 व नामान्तरकरण संख्या 613 में प्राथीयों का नाम बंशी, सेजु पिता जीवा दर्ज है तथा राजेस्व ग्राम सुन्दरपुर के खाते संख्या 58, 148 में प्रार्थियों के नाम बंशी पुत्री जीवा व सेजु पत्र/पुत्री जीवा दर्ज है व बंशी सेजु पिता जीवा जाति भील खातेदार दर्ज हुआ था। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को सुना गया।

वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 29/59 में वादीगण का नाम काश्तकार के नाम की सूची क. संख्या 9 पर बंशी पुत्री जीवा एवं क. सं. 12 में सेजु में बंशी पुत्र जीवा एवं क.सं. 18 में सेजु पुत्री जीवा नाम अंकित है। गलत नाम बंशी पुत्र जीवा एवं सेजू पुत्री जीवा को विलोपित कर सही नाम मन्शी पुत्र जीवा एवं शान्तिदेवी पुत्री जीवा दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(सांवरलाल आबासरा)

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर